सेक्या-19/2024/901//2024/सत्रह-म-2024-17-1002(002)/13/2019

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 15 जून, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्षरू0 48,85,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-205/नि0शा0/2024-25 दिनांक 04.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीयमत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अर्न्तगत 02-मजदूरी मद में रू0 173371/- 09- विद्युत देय मद में रू0 423150/-, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 176749/-, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1421230/-, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2690500 अर्थात कुल धनराशि 4885000 (रू0 अडतालीस लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस समबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अर्न्तगत 02-मजदूरी मद में रू0 173371/- 09- विद्युत देय मद में रू0 423150/-,39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 176749/-, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1421230/-, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2690500 अर्थात कुल धनराशि 4885000 (रू0 अडतालीस लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
हैं –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वितीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गतराज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(6) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभागद्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृतकी जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मदसे दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार कियाजायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04- मत्स्य विकास कार्यक्रम- 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी,09-विद्युत देय,39-औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय,43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

5- निर्गत की जा रही धनराशि 4885000 (रू0 अडतालीस लाख पचासी हजार मात्र) का सम्बंधित जनपदों में आवंटन निदेशक मत्स्य के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 1/2024/ बी-1-294/दस-2024-

231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

Signed by
Sunil Kumar Verma
Date: 15-06-2024 11:51:07

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या /9 /2024 /98/21(1) सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (सिविलआडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4. सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।